



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - बहादुरगढ़

दिनांक 07.03.2025

- थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्रांतर्गत गौकशी की फिराक में घूम रहे 02 गौकशों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार।
- जिनके कब्जे से एक जीवित गौवंश, एक मोटरसाइकिल, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस एवं गौकशी करने के उपकरण बरामद।
- गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़ में करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत गौकशी की फिराक में घूम रहे 02 गौकशों को बाद पुलिस घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक जीवित गौवंश, एक मोटरसाइकिल, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस व गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:- विहूनी से गढ़ रोड पर राजीव त्यागी के खेत के पास व दिनांक 07.03.2025

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. नौशाद पुत्र बूंदी निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
2. सलमान पुत्र बूंदी निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक जीवित गौवंश ।
2. एक मोटरसाकिल हीरो होण्डा रजि0नं0 यू पी 15 एबी 0452 ।
3. 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस.315 बोर ।
4. गौकशी करने के उपकरण ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त नौशाद उपरोक्त:-

1. मु0अ0स0 008/2016 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सिम्भावली हापुड़ ।
2. मु0अ0सं0 272/20 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सिम्भावली हापुड़ ।
2. मु0अ0स0 036/2025 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
3. मु0अ0स0 039/2025 धारा 109 बीएनएस पु0मु0 व धारा 3/25/27 व 4/25 A ACT व धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।

2. अभियुक्त सलमान कुमार उपरोक्त:-

1. मु0अ0स0 008/2016 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सिम्भावली हापुड़ ।
2. मु0अ0सं0 272/20 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सिम्भावली हापुड़ ।
2. मु0अ0स0 036/2025 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
3. मु0अ0स0 039/2025 धारा 109 बीएनएस पु0मु0 व धारा 3/25/27 व 4/25 A ACT व धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
2. उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
4. उ0नि0 श्री शशिपाल भारद्वाज थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
5. है0का0 850 राहुल कुमार थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
6. का0 1014 प्रमोद कुमार थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।
7. का0 122 सुनीलस कुमार थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ।